संख्या-1160/ पांच-1-2015-9(163)/09

प्रेषक,

अरविन्द नारायण मिश्र,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 11 अगस्त, 2015

विषय:- 108 समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा के संचालन के सापेक्ष व्ययभार को वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के प्राविधानित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किया जाना ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 29फ/10(21)/14/113, दिनांक 24.07.2015 एवं पत्र संख्या 29फ/10(21)/14/121, दिनांक 05-08-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा किये गये प्रस्ताव के क्रम में 108 समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति -110 अस्पताल तथा औषधालय-03-108 ई0एम0टी0एस0 "समाजवादी स्वास्थ्य सेवा" का संचालन-42-अन्य व्यय के अंतर्गत आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि रू0-1678453 हजार (रू0-एक सौ सरसठ करोड चौरासी लाख तिरपन हजार) मात्र में से रू0 60 करोड (रूपये साठ करोड) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर वित्त एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति वित्त (आय व्ययक) अनुभाग के ज्ञाप दिनांक-30-03-2015 के अधीन होगी तथा धनराशि का आहरण एकमुश्त के रूप में नहीं किया जायेगा और न ही स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक खाते आदि में जमा किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को नियमित रूप से प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को हस्तगत करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद मे कदापि नहीं किया जायेगा।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का वहन वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 32 के लेखा शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-(आयोजनागत)-03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऐं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-110-अस्पताल तथा औषधालय-03-108-ईएमटीएस "समाजवादी स्वास्थ्य सेवा" का संचालन- 42 अन्य व्यय के अंतर्गत आोजनागत मद से किया जायेगा।

8- यह आदेश् वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30-3-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(**अरविन्द नारायण मिश्र**)
सचिव।

संख्या- 1160 (1)/पांच-1-2015-9(163)/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उ0प्र0।
8- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
10- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं/ एन0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ।
11- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
12- सहायक निदेशक, सूचना, उ0प्र0 शासन।
13- कम्प्यूटर सेल प्रभारी, एन0एच0एम0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर डाउनलोड करायें।
14- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
15- गार्ड फाईल/समन्वय सहायक।

आज्ञा से,

(**ए0पी0 सिंह**)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।